ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
1.	श्री कुतुब दीन	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1.	श्री भाग सिंह	01-04-2022 से 15-09-2022
2.	श्री भूमि चंद	16-09-2022 से 27-06-2023
3.	श्री गुरदयाल सिंह	28-06-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) , विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	8.2	बिना M (W,X) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वित्तीय हानि बारे।	₹2.41
02.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	₹0.82
03.	8.4	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	₹0.46
04.	8.5	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाये गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/ कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे	₹77
05.	9.1	मनरेगा अनुदान के व्यय/भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	₹13.17
06.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	₹6.19
07.	9.3	निर्माण कार्यों के दौरान शेष बची सामग्री का सम्भावित दुर्विन्योजन बारे।	₹0.27
08.	9.5	सुंदर युवक मंडल शरेला से करवाए गए कार्यों के बिल/वॉउचर,अभिलेखों का पंचायत रिकोर्ड में उपलब्ध न होने बारे।	₹4.00

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13-06-2024 से 21-06-2024 तक ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	05/2022
2.	2023-2024	02/2024	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 21-06-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:-

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	111933.00	68090.00	180023.00	124501.00	55522.00
2023-24	55522.00	29755.00	85277.00	10017.00	75260.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	1209484.00	15203404.00	16412888.00	15459106.00	953782.00
2023-24	953782.00	18476306.00	19430088.00	18377581.00	1052507.00

कुल योग (1+2) ₹75260 + ₹1052507 = ₹1127767

(ब) ग्राम पचांयत संतेवा (चिल्ली), का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण :-

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹) 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	17710113912	HPSCB Bhanjraru	**496957.00**
2.	RGSA	17710114443	HPSCB Bhanjraru	**140572.00**
3.	VKVNY/VMJSY/3rd/ 5th SFC/Sabha Nidhi etc.	17710113911	HPSCB Bhanjraru	**496120.00**
			Cash In hand	**0**
			TOTAL	**₹1133649**

अन्तर (ब-अ) ₹1127767 - ₹1133649 = ₹5882

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.05 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹5882 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिंनाक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹10.53 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिंनाक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1052507 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.24 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹24500 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
2022-23	17900	380	50	19000	36900	31400	5500
2023-24	5500	380	50	19000	24500	00	24500

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 21-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिंनाक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिंनाक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिंनाक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1900/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With Late Fee		Without LateFee	With Late F.		
2022-23	10	4@200	-	800	6@25	-	150	950
2023-24	10	4@200	-	800	6@25	-	150	950
कुल योग	**20**	**08@200**	-	**1600**	**12@25**	**-**	**300**	**1900**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिंनाक 21-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिंनाक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-(W,X) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹2.41 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूतिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त तीसा विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या 7018 दिंनाक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी समस्त प्रधानों/सचिवों/सहायकों को रेत,बजरी तथा पत्थर की सम्बंधित ठेकदारों से रॉयल्टी कटाने एवं सरकार को भेजने के लिए आदेशित किया गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹241186/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनाक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनिमितिता को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.82 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1723429/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय समाग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मेमों व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के

अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹82068 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है। (Key Documents Raugh Sheets P-28-35)

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिंनाक 19-06-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज,रसीद,कैश मेमों व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यदापि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्योयचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.46 लाख की वित्तीय हानि बारे:-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार एवं वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51(1) के अंतर्गत TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संग्लन **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹2305534/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹46110.68/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

इस अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर व GST अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्नविवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन माप पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपियोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	**कार्य विवरण**	**स्वीकृत राशि**	**टिप्पणी**
1.VMJS	कार्य: फुट ब्रिज पधराल नाला मोहाल	750000	MB, Estimate Work Order and Technical sanction order,Format-34.etc
2.IWMP/WDC	कार्य : वायर क्रैट चेक डेम अपस्ट्रीम 200mtr फुट ब्रिज	315421	

3.VKVNY	कार्य : एम्बुलेंस रोड मेन रोड से फाट	500000	do
4. VKVNY	कार्य : एम्बुलेंस रोड फाट से संतेवा	500000	do
5.IWMP/WDC	कार्य : वायर क्रैट चेक डेम अपस्ट्रीम 200mtr फुट ब्रिज सरेला नाला	195057	do
6.MGREGA	कार्य : लैंड प्रोटेक्शन एम्बुलेंस रोड पंगोला से संतेवा	500000	do
7.MGREGA	कार्य : लैंड प्रोटेक्शन विध अपग्रेडेशन एम्बुलेंस रोड गालोड़ी से रुंडाल	500000	do
8.MGREGA	कार्य : सिंचाई वर्क विध पाईपलायन पंगोला से संतेवा	500000	do
9.MGREGA	कार्य :सामुदायिक प्लान्टेशन वर्क 10 @390100	3901000	do
	कुल योग	**₹7661478**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 19-06-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों का पंचायत में न पाया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा उक्त अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न होना व अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना को न्योयचित ठहराये जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.1 राशि ₹13.17 लाख के स्टोर/स्टॉक के व्यय भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹1316569 का भुगतान रेत, बजरी व पत्थर के क्रय व ढुलान व LNT वर्क की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र है जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ नमूना प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के Key Documents Raugh Sheets Page-28-35 व 39 पर संलगन हैं।

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे

1. पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकृत विक्रेता GST/TIN पंजीकृत नहीं हैं एवं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज पर अभिस्वीकृति सहित भुगतान हेतु दिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है । इस पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है।

2. पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के एवज में आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों को किये गए भुगतानों के FTOs (Fund transfer order) अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गये जिससे कि यह सुनिश्चित/सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए वास्तव में उन्ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है अथवा नहीं ?

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिंनाक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा तथा मनरेगा अनुदान के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है । प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है । उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्योयचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा

मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 **औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹6.19 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) द्वारा राशि ₹**619300**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "3" में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि, ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितिता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिंनाक 19-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितिता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 निर्माण क्रय के दौरान बची हुई शेष सामाग्री राशि ₹0.27 लाख का सम्भावित दुरूपयोग करने बारे :-

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत कार्यों हेतु निम्नविवरणनुसार क्रय व उपयुक्त (तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज) सामग्री में से शेष बची सामग्री राशि ₹27000 का न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

क्र०अनुदान	कार्य का नाम	माप पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	कुल क्रय सामग्री	कार्य में प्रयुक्तसामग्री	शेष बची सामग्री
1.15वां वित्तायोग	पाईप लाइन नाला से संतेवा	16750 पृष्ठ संख्या 11-12	PVC पाईप 1300rmt@28	1200rmt	100rmtPVC @28 =Rs2800
2.मनरेगा	टैंक नाचन	16750 पृष्ठ संख्या 32-33	पत्थर 61m3@1100	39m3	22m3पत्थर@1100 = Rs24200
				कुल योग	**₹27000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिंनाक 20-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि सामग्री की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खातों में जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त प्रकरण में शेष सामग्री की राशि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित कर्मचारी से करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची ? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 20-06-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.5 सुंदर युवक मंडल शरेला से राशि ₹4 लाख के करवाए गए कार्यों के बिल/वॉउचर अभिलेखों का पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 103 (2) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से निष्पादित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों को पंचायत में प्रत्येक चरण में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, VMJS अनुदान के तहत निर्माण कार्य : फुट ब्रिज पधराल नाला चिल्ली हेतु राशि ₹400000 का हस्तांतरण UTR no. HPSCH22 A/C संख्या 17710113911 के माध्यम से सुंदर युवक मंडल शरेला को वॉउचर संख्या 02 दिनांक 26-05-2022 (रोकड़बही पृष्ठ संख्या 8) द्वारा किया गया परन्तु उक्त कार्य, राशि से सम्बन्धित कोई भी बिल/वॉउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जोकि संदिग्ध व अनुचित प्रतीत होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, इससे सम्बन्धित कोई भी बिल/वॉउचर पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है इस पर विभागीय लेखा परीक्षा के दौरान भी आपत्ति दर्ज की गई थी तत्कालीन सचिव द्वारा उक्त आहरित राशि के कोई भी बिल/वॉउचर पंचायत में अभी तक जमा नहीं किये गए। अभिलेखों के अवलोकन एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर यह मामला संदिग्ध प्रतीत

होता है। राशि के हस्तांतरण के दो वर्षों उपरान्त भी बिल/वॉउचर पंचायत में न होना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त प्रकरण में हस्तांतरित राशि से करवाए गए कार्य के समस्त अभिलेखों को शीघ्र ही उचित स्त्रोत से प्राप्त करके अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित सचिव से करके खाते में जमा करवाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.6 राशि ₹2.37 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹237518 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जोकि अनुचित है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभिस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अतः नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹10008720.35 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन व कार्य में किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 व 07 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है । अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.8 राशि ₹6.14 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत संतेवा (चिल्ली) के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹613788/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
3. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिंनाक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वॉउचर/ दिनांक	राशि
1.15th FC	कार्य: रिटेनिंग वॉल नियर पंचायत लैंड	14503/ 14508	06 & 07/ 31-10-2022	139878
2th FC15.	कार्य: रिटेनिंग वॉल नियर सामुदायिक केंद्र	14515	11/ 10-01-2023	103800
3.15th FC	कार्य: पाईप लाइन नाला से संतेवा	14519	03/ 30-04-2023	57750
4.15h FC	कार्य: ड्रेन विध पक्का पाथ संतेवा	14528	11/ 27-05-2023	56496
5.IWMP	कार्य : वायर क्रैट चेक डेम अपस्ट्रीम फुट ब्रिज	14536/ 14532	02 & 03/ 08-06-2023	255864
		कुल योग		**₹613788**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिंनाक 19-06-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन न करके मैन्युअल ही किया जा रहा है एवं मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व

2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। पंचायत द्वारा न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों एवं मनरेगा रोकड़बही को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनाक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से राज्य लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिंनाक 19-06-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे VKVNY, VMJS व 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं

7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामाग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
11.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 **भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वॉउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिंनाक 19-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13 **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के द्दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमितितायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विन्योजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 07.8.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

08 AUG 2024

3915-3919

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 158/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

5. सचिव, ग्राम पंचायत सेतवा (चिल्ली) विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

08 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 07.8.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Santeva (Chilli) for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	111933.00	68090.00	180023.00	124501.00	55522.00
2023-24	55522.00	29755.00	85277.00	10017.00	75260.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1209484.00	15203404.00	16412888.00	15459106.00	953782.00
2023-24	953782.00	18476306.00	19430088.00	18377581.00	1052507.00

1127767.00

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खंड तीसा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत तीन रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है।

1+2 (75260+1052507)

	C/B as per Cash Books	1127767.00
	C/B as per Bank Passbool	1133649.00
Difference	(Less in Bank PassBook	-5882.00

Panchayat Secretary
G.P Shanteva (Chilli)
Dev. Block Tissa

परिशिष्ट "1"

कार्यालय ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2022 to 31-03-2024 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	**17710113912**	HPSCB Bhanjraru	**496957.00**
2.	RGSA	17710114443	HPSCB Bhanjraru	**140572.00**
3.	VKVNY/VMJSY/ 3rd/5th SFC/ Sabha Nidhi etc.	17710113911	HPSCB Bhanjraru	**496120.00**
			Cash In hand	**0**
			TOTAL	**1133649**

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), में दिंनाक 31-03-2024 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 03 तक वर्णित बैंक खाते ही खोले गए हैं इसके अतिरिक्त कोई भी खाता पंचायत ने नहीं खुलवाया है।

Panchayat Secretary,
G.P Chanteva (Chilli)
Dev. Block Tissa

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Santeva (Chilli) Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	VMJSY	VKVNY	RGSA	IWMP	14TH FC	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April	884.00	30000.00			7506.00			9206.00	3240.00	**50836.00**
May			400000.00						2804664.00	**3204664.00**
June								103808.00	1278841.00	**1382649.00**
July		36000.00							122032.00	**158032.00**
August	2310.00							106317.00	1193956.00	**1302583.00**
September	2621.00		200000.00		6317.00			9552.00	1770510.00	**1989000.00**
October	**30000.00**			500000.00				155711.00	73066.00	**758777.00**
November		36000.00							792656.00	**828656.00**
December			240000.00		9450.00	810116.00		159475.00	763180.00	**1982221.00**
January		24000.00							1160636.00	**1184636.00**
February	17000.00		349704.00					70450.00	441590.00	**878744.00**
March	15275.00							265792.00	1269629.00	**1550696.00**
Total	**68090.00**	**126000.00**	**1189704.00**	**500000.00**	**23273.00**	**810116.00**		**880311.00**	**11674000.00**	**15271494.00**

Expenditure Statement of GP Santeva (Chilli) Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2022-2023

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	VMJSY	VKVNY	RGSA	IWMP	14TH FC	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April		30000.00							3240.00	**33240.00**
May	**17659.00**		**400000.00**						**2804664.00**	**3222323.00**
June	12000.00						58223.00		1278841.00	**1349064.00**
July								188013.00	122032.00	**310045.00**
August	22000.00	36000.00			323660.00			18500.00	1193956.00	**1594116.00**
September	10000.00		175000.00						1770510.00	**1955510.00**
October			24850.00	480000.00				139878.00	73066.00	**717794.00**
November	45691.00								792656.00	**838347.00**
December	5550.00		240100.00		66920.00	810116.00		74140.00	763180.00	**1960006.00**
January								191750.00	1160636.00	**1352386.00**
February	2497.00	21000.00	349704.00					69800.00	441590.00	**884591.00**
March	9104.00							87452.00	1269629.00	**1366185.00**
Total	**124501.00**	**87000.00**	**1189654.00**	**480000.00**	**390580.00**	**810116.00**	**58223.00**	**769533.00**	**11674000.00**	**15583607.00**

3222323.00

Panchayat Secretary
G.P Shantava (Chilli)
Dev. Block Tissa

परिशिष्ट "1"

Income Statement of GP Santeva (Chilli) Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th SFC	VKVNY	RGSA	IWMP	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April	2169.00			2234.00		9192.00	6784.00	20379.00
May							1521838.00	1521838.00
June	1077.00	48000.00	496000.00	954.00	671129.00	3944.00	6134421.00	7355525.00
July					68050.00		580977.00	649027.00
August	3300.00	45000.00			242700.00		1017404.00	1308404.00
September							136062.00	136062.00
October	808.00			971.00		2897.00	311792.00	316468.00
November	1500.00					107286.00	259840.00	368626.00
December	883.00			978.00	786115.00	3287.00	87600.00	878863.00
January	9924.00							9924.00
February	10094.00						3684851.00	3694945.00
March			500000.00				1746000.00	2246000.00
TOTAL	29755.00	93000.00	996000.00	5137.00	1767994.00	126606.00	15487569.00	18506061.00

Expenditure Statement of GP Santeva (Chilli) Development block Tissa Distt. Chamba (H.P.) For the year 2023-2024

Months	Own Sources	3rd/5th Sfc	VKVNY	RGSA	IWMP	15TH FC	MGREGA	TOTAL
April		73100.00				105000.00	6784.00	184884.00
May	5017.00					221914.00	1521838.00	1748769.00
June	5000.00		516000.00		671129.00	2000.00	6134421.00	7328550.00
July					68050.00		580977.00	649027.00
August					242700.00		1017404.00	1260104.00
September							136062.00	136062.00
October							311792.00	311792.00
November		43500.00					259840.00	303340.00
December					786115.00		87600.00	873715.00
January								0.00
February						30504.00	3684851.00	3715355.00
March		130000.00					1746000.00	1876000.00
TOTAL	10017.00	246600.00	516000.00		1767994.00	359418.00	15487569.00	18387598.00
								7328550.00

Panchayat Secretary
G P Santeva (Chilli)
Dev. Block Tissa

26

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Santeva (Chilli) for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	11674000.00	11674000.00	11674000.00	0.00
		2023-24	0.00	15487569.00	15487569.00	15487569.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	615437.00	880311.00	1495748.00	769533.00	726215.00
		2023-24	726215.00	126606.00	852821.00	359418.00	493403.00
3	RGSA	2022-23	501767.00	23273.00	525040.00	390580.00	134460.00
		2023-24	134460.00	5137.00	139597.00	0.00	139597.00
4	14TH FC/ 3rd/5th SFC,VKVNY/ VMJSY etc.	2022-23	92280.00	1815704.00	1907984.00	1814877.00	93107.00
		2023-24	93107.00	1089000.00	1182107.00	762600.00	419507.00
5	IWMP	2022-23	0.00	810116.00	810116.00	810116.00	0.00
		2023-24	0.00	1767994.00	1767994.00	1767994.00	0.00
			1209484.00	15203404.00	16412888.00	15459106.00	953782.00
			953782.00	18476306.00	19430088.00	18377581.00	1052507.00

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश [redacted] (पैरा संख्या 9.2 [redacted] में संदर्भित)

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना अनियमित क्रय करना।

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Materiai	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	01/ 05-05-22	Stationery	-	M/S V.P. Enterprises ,Jalandhar	17650	~~Joint Sign~~ Quotations
2.SF	03/ 01-06-22	Office Almirah	01@12000	M/S Chaman Furniture House, Bhanjraru	12000	~~Joint Sign~~ —do—
3.SF	09/ 26-08-22	Epson Printer	01@22000	M/S Quam Mobile Gallary, Chamba	22000	~~Joint Sign~~ —do—
4.SF	11/ 27-09-22	Photostate & Print	-	M/S Quam Mobile Gallary, Chamba	10000	~~Joint Sign~~ —do—
5. VKVNY	12 & 13/ 06-10-22	Cutting through LNT	160Hours @3000	M/S Rashid Mohd. PO Jungra, Churah, Chamba	480000	~~Joint Sign~~ Tender
6.SF	01/ 05-05-22	Stationery	-	M/S V.P. Enterprises ,Jalandhar	17650	~~Joint Sign~~ Quotations
7.15th FC	03/ 19-07-22	Stone	60m3@1000	Sh. Karm Singh PO Thalli Churah, Chamba	60000	~~Joint Sign~~ Tender
				Total	**619300**	

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2.8.3 में संदर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP SANTEVA (CHILLI) FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Kuldeep Singh	14th FC	04 & 06	Sand	4.53	7.25	8000	60	434.88	7619.05	380.95
	PO Thalli, Chamba		07-06-2022	Aggre.	5.67	11.00	11000	80	879.98	10476.19	523.81
				Stone	5	11.20	5000	80	896.00	4761.90	238.10
2	M/S Hussain Mohd.	VMJSY	27-30	Stone	55	123.20	55000	80	9856.00	52380.95	2619.05
	PO Thalli, Tissa Chamba		19-06-2023	Aggre.	11.7	22.70	29250	80	1815.84	27857.14	1392.86
				Sand	13.73	21.97	34325	80	1757.44	32690.48	1634.52
3	M/S Karm Singh	15th FC	03,	Stone	60	134.40	60000	60	8064.00	57142.86	2857.14
	PO Thalli, Churah		19-07-2022						0.00	0.00	0.00
4	M/S Kuldeep Singh	15th FC	04 & 05	Aggre.	5.66	10.98	11000	60	658.82	10476.19	523.81
	PO Thalli, Chamba		24-09-2022	Sand	4.24	6.78	7500	60	407.04	7142.86	357.14
5	M/S Hussain Mohd.	15th FC	10(1)(2)	Sand	52	116.48	52000	60	6988.80	49523.81	2476.19
	PO Thalli, Tissa Chamba		24-07-2022						0.00	0.00	0.00
6	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	NIL	Stone	141	315.84	141000	60	18950.40	134285.71	6714.29
	PO Thalli, Chamba		25-05-2022						0.00	0.00	0.00
7	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	Nil	Stone	510	1142.40	510000	60	68544.00	485714.29	24285.71
	PO Thalli, Chamba		25-05-2022						0.00	0.00	0.00
9	M/S Karm Singh	MGREGA	NIL	Stone	100	224.00	100000	60	13440.00	95238.10	4761.90
	PO Thalli, Churah		25-05-2022						0.00	0.00	0.00
10	M/S Kuldeep Singh	MGREGA	Nil	Stone	289	647.36	289000	60	38841.60	275238.10	13761.90
	PO Thalli, Chamba		25-05-2022						0.00	0.00	0.00
11	M/S Hussain Mohd.	MGREGA	NIL	Sand	50	80.00	12000	80	6400.00	11428.57	571.43
	PO Thalli, Tissa Chamba		23-06-2023	Aggre.	10.19	19.77	19800	80	1581.49	18857.14	942.86
12	M/S Hussain Mohd.	MGREGA	NIL	Stone	344.14	770.8736	378554	80	61669.89	360527.62	18026.38
	PO Thalli, Tissa Chamba		29-02-2024			**TOTAL**	**1723429**		**241186.18**	**1641360.95**	**82068.05**
If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken											

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^{3}) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. From Cubic Meter (M^{3}) to Tonne
   One Cubic Meter (M^{3}) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^{3}) Aggregate M **1.94**
   One Cubic Meter (M^{3}) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^{3}) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

<u>परिशिष्ट – "5"</u>

ग्राम पंचायत संतेवा (चिल्ली), विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश [redacted] रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या 9.[redacted] 9.6 [redacted] में संदर्भित)

Sr.No./ Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Detail of Supplier	Amount	Remarks
1.SF	12/ 14-09-22	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	12250	Stock Entry
2.SF	11/ 26-07-22	Stone	50m3@1800	M/S Ashok Kumar PO Kohal , Chamba	90000	Stock Entry
3. MPLAD	09/ 26-07-22	Bricks	8000No.@10	M/S Gopal Traders PO Pukhri, Chamba	80000	Stock Entry
4 .MPLAD	30/ 26-07-22	CGI Sheet angle welding Road etc.	-	M/S Gopal Traders PO Pukhri, Chamba	42268	Stock Entry
5.SF	19/ 09-11-23	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	13000	Stock Entry
				Total	**237518**	

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o GP Santeva (Chilli) DB Tissa

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT
1	04-15/22-06-2023	VKVNY	M/S Rashid Mohd Batt PO Jungra, Chamba	LNT Works 172Hour@3000	516000.00
2	NIL/25-05-2022	MGREGA	M/S Karm Singh PO Thalii, Chamba	Stone Carrige 56m3@990	56000.00
3	Nil/26-06-2023	MGREGA	M/S Hussain Mohd.PO Thalli Churah, Chamba	Stone Carrige 90.908@1100	100000.00
4	27-30/19-06-2023	VMJSY	M/S Hussain Mohd.PO Thalli Churah, Chamba	Stone, Aggregate and Sand	118575.00
5	NIL/23-06-2023	MGREGA	M/S Hussain Mohd.PO Thalli Churah, Chamba	Sand & Aggregate	31800.00
6	NIL/ 29-02-2024	MGREGA	M/S Hussain Mohd.PO Thalli Churah, Chamba	Stone Carrige 344.14m3@1100	378554.00
7	NIL/29-11-2022	MGREGA	M/S Karm Singh PO Thalii, Chamba	Stone Carrige 116m3@990	115640.00
				TOATL	1316569.00

परिशिष्ट "७" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o GP Santeva (Chilli) DB Tissa							
SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	12 & 13/ 06-10-2022	VKVNY	M/S Rashid Mohd Batt PO Jungra, Chamba	LNT Works 160 Hour@3000	480000.00	9600.00	GST Act 2017 Sec. 51 A &
2	04-15/ 22-06-2023	VKVNY	M/S Rashid Mohd Batt PO Jungra, Chamba	LNT Works 172Hour@3000	516000.00	10320.00	IT Act Section 194C
3	Nil/12-12-2022	MGREGA	M/S Rashid Mohd Batt PO Jungra, Chamba	Stone Carrige 579.15m3@1000	579150.00	11583.00	IT Act Section 194C
4	Nil/23-11-2022	MGREGA	M/S Karm Singh PO Thalii, Chamba	Stone Carrige 81m3@990	80190.00	1603.80	IT Act Section 194C
5	Nil/29-11-2022	MGREGA	M/S Karm Singh PO Thalii, Chamba	Stone Carrige 116m3@990	115640.00	2312.80	IT Act Section 194C
6	Nil/25-05-2022	MGREGA	M/S Karm Singh PO Thalii, Chamba	Stone Carrige 56m3@990	56000.00	1120.00	IT Act Section 194C
7	Nil/29-02-2024	MGREGA	M/S Hussain Mohd.PO Thalli Churah, Chamba	Stone Carrige 344.14m3@1100	378554.00	7571.08	IT Act Section 194C
8	Nil/26-06-2023	MGREGA	M/S Hussain Mohd.PO Thalli Churah, Chamba	Stone Carrige 90.908	100000.00	2000.00	IT Act Section 194C
				TOTAL	2305534.00	46110.68	